

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
950/2024

दायर दिनांक
18.11.2024

निर्णय दिनांक
19-12-2024

उनवान

1. श्यामा पुत्र पेमा भील उम्र वयस्क निवासी कांवालास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. माधु पुत्र भूरा राम भील उम्र वयस्क निवासी लीरडिया पोस्ट बावडी बोरी जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. देवबक्ष पुत्र पेमा गाडरी उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
2. दिनेश कुमार पुत्र नारायण लाल लढा उम्र वयस्क निवासी आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा
3. चांदी पत्नी स्व० किशन खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
4. प्रकाश पुत्र भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
5. बदाम पत्नी भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजी देवी पुत्री भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
7. श्याम लाल पुत्र भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
8. समता पुत्री भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
9. सुरेश पिता भैरु खारोल उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मो. सलीम अंसारी

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आकोला प०ह० सिदडीयास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 316 की अभिलिखित आराजियात 819/384 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खाता संख्या 559 की आराजी संख्या 384, 385/1 938/384 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3921 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 की आराजी संख्या 385/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर खाता संख्या 244 की आराजी संख्या 383/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3035 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 247 की आराजी संख्या 383/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आकोला प0ह0 सिदडीयास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 316 की अभिलिखित आराजियात 819/384 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खाता संख्या 559 की आराजी संख्या 384, 385/1 938/384 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3921 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 की आराजी संख्या 385/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर खाता संख्या 244 की आराजी संख्या 383/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3035 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 247 की आराजी संख्या 383/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह झाडावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा